–:ई–टेण्डर/निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा क्षेत्र के अधीनस्थ निम्नलिखित बस स्टेशन पर खाली हो रहे स्टाल/ठेके की नीलामी आनलाईन टेण्डर द्वारानिम्नांकित विवरण के अनुसार कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम, आगरा में आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (नीलामी मात्र ई–टेण्डर प्रक्रिया द्वारा की जायेगी) जिसका विवरण निम्नवत् है –

डिपो स्तर पर रिक्त पड़े स्टालों/ठेकों का विवरण				
क्र0 सं0	डिपो बस स्टे ान का नाम	रिक्त स्टाल का विवरण	स्टाल का आरक्षित मूल्य	निर्धारित स्थान
1.	बाह डिपो	जनरल मर्चेन्ट (कैण्टीन) (दिनॉक 01.01.2019 से रिक्त)	11,000.00	बाह बस स्टेशन

उल्लिखित जनरल मर्चेन्ट बाह का आवंटन कैण्टीन नियमावली, 2009 के अन्तर्गत नियमानुसार 03 वर्ष हेतु संचालित करने के लिये आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जनरल मर्चेन्ट (कैंण्टीन) बाह डिपो का अनुबन्ध तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये मासिक किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वयमेव की जाती रहेगी। आवंटी द्वारा अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेना होगा, निगम द्वारा विद्युत सुविधा देय नहीं होगी, साथ ही दुकान में किसी प्रकार का पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल के आवंटन हेतु रू0. 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी जमा की जायेगी। जिस निविदादाता द्वारा दुकान **न्यूनतम आरक्षित धनराशि** के सापेक्ष अधिकतम् मासिक किराये की राशि का निविदा दी जायेगी उसी के पक्ष में सम्बन्धित जनरल मर्चेन्ट का आवंटन किया जायेगा तथा निविदा–दाता ऑनलाईन प्रक्रिया में उल्लेख की गई **निविदा दरों की तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी धरोहर राशि के रूप में**, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम, आगरा के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं अर्नेस्ट मनी के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी निविदा के सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर अनिवार्यतः अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपया 20+04 (G.S.T.)= 24/– मात्र, प्रति निविदा प्रपत्र।
प्रत्येक निविदा की अर्नेस्ट मनी	रूपया 10,000/– (रूपया दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो **क्षेत्रीय प्रबन्धक**, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा के पक्ष में देय होगा।
ई–टेण्डर/निविदा की अन्तिम तिथि व समय	दिनॉक 11.02.2019 (दिन सोमवार) तक अपरान्ह 17:00 बजे तक।
निविदा खोले जाने का दिनॉक, समय व स्थान	दिनॉक 13.02.2018 (दिन बुद्धवार) को 11:00 बजे, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा क्षेत्र।

दुकान/ठेके के लिये निविदा/टेण्डर दिनॉक 11.02.2019 की अपरान्ह 17:00 बजे तक वेबसाईट से अपलोड किये जा सकते हैं तथा देखे जा सकते हैं, तथा निविदा शुल्क निगम कोष में जमा कर जमा रसीद एवं अर्नेस्ट मनी का उल्लिखित बैंक ड्राफ्ट एवं प्रतिभूति की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय आगरा में दिनॉक 13.02.2019 को ही हार्ड कापी में निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

1. ऑनलाईन प्राप्त निविदा खुलने की तिथि 13.02.2019 पर समय 12:00 बजे से पूर्व उल्लिखित बैंक ड्राफ्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रपत्र, चाल–चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर निविदा के साथ एक बन्द लिफाफे में हार्ड कापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरान्त ही आनलाईन निविदा पर विचार किया जायेगा, वांछित ड्राफ्ट एवं अन्य समस्त प्रपत्रों की हार्ड कापी प्राप्त न होने की दशा में प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. जी0एस0टी0 एवं अन्य करों में देयता बनती है, तो निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा, जिसे निगम कोष में मासिक किराये के साथ में जमा किया जायेगा।
3. जिन निविदादाता की निविदा अर्ह पाये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी उसको क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा क्षेत्र के साथ एग्रीमेण्ट बाण्ड भरना होगा, एग्रीमेण्ट हेतु रजिस्टार आफिस द्वारा निर्धारित दर पर स्टाम्प पेपर सम्बन्धित निविदादाता को स्वंय के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
4. किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा, विलम्ब की दशा में मासिक लाईसेन्स फीस के 1/20 वां अंश के बराबर की राशि आर्थिक दण्ड प्रति विलम्ब दिवस की दर से दण्ड की वसूली की जायेगी, विलम्ब दिवस माह की 11 तारीख से आगणित होगा।

Downloaded From www.upsrtc.com

5. तीन माह तक लगातार समय पर किराया जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त करते हुए प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी या शासकीय देयकों की वसूली आवंटी की सम्पत्ति से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
6. दुकानों से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद आगरा में स्थित रहेगा तथा निविदा के मामले में उत्पन्न किसी विवाद पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
7. अपूर्ण निविदा/प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
8. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन, का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
9. ऑनलाईन निविदा से प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव की तीन गुना धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा स्वीकृत होने पर निगम कोष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा न किये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई टेण्डरमनी/ टोकनमनी जब्त घोषित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय सर्वोच्च दर दाता के प्रस्ताव को क्रमवार पूर्व प्रस्ताव की टेण्डर मनी/टोकन मनी को जब्त करते हुए स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
10. यदि दुकान ठेकेदार अनुबन्ध के पश्चात दुकान संचालित रखने का इच्छुक न हो तो आवश्यक होगा कि वह तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर दुकान बन्द करें। यदि दुकान ठेकेदार द्वारा अचानक बिना कोई कारण बताये ही दुकान बन्द कर देता है तो प्रतिभूति के मद में निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि से कटौती करने अथवा दुकान का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा को होगा।

सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही को बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि में अवकाश की अवधि में यह कार्य अगले कार्य दिवस में सम्पन्न कराया जायेगा।

(एम0के0 त्रिवेदी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा।

Downloaded From www.Upsrtc.com